संख्या-22/2020/सा0-95/38-2-2020-3बी/2013

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2020**

विषय:- नवसृजित जनपद-कासगंज में विकास भवन के अवशेष निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा0-232/38-2-2014-3बी/2013, दिनांक 29-03-2014, शासनादेश संख्या-सा0-15/38-2-2015-3बी/2013, दिनांक 15-01-2015, शासनादेश संख्या-सा0-384/38-2-2015-3बी/2013, दिनांक 26-06-2015, शासनादेश संख्या-सा0-95/38-2-2016-3बी/2013, दिनांक 21-03-2016, शासनादेश संख्या-सा0-351/38-2-2016-3बी/2013, दिनांक 30-06-2016, शासनादेश संख्या-24/2017/सा0-579/38-2-2017-3बी/2013, दिनांक 06-12-2017 एवं शासनादेश संख्या-36/2018/सा0-962/38-2-2018-3बी/2013, दिनांक 16-10-2018 के अनुक्रम में आकलित लागत रू0 1300.27 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 1300.27 लाख में से 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 65.01 लाख रोकते हुए शेष धनराशि अवमुक्त की गयी थी। आपके पत्रांक-960/बजट अनु0/सामु0वि0/2019-20 दिनांक 17-03-2020 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रोकी गयी 05 प्रतिशत धनराशि रू0 65.01 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पत्र के साथ मुख्य विकास अधिकारी कासंगंज के पत्र दिनांक 16.03.2020 के द्वारा जांच समिति की निरीक्षण आख्या में कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड कासंगंज इकाई द्वारा रू0 1300.27 लाख के कार्य पूर्ण होने, कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होने का उल्लेख करते हुए रोकी गयी अवशेष धनराशि रू0 65.01 लाख अवमुक्त् किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत परियोजना में रोकी गयी अवशेष धनराशि रू0 65.01 लाख अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-22/2020/सा0-95(1)/38-2-2020-3बी/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, कासगंज।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, कासगंज।
6- कोषाधिकारी, कासगंज।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कासगंज।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, अलीगढ इकाई, अलीगढ।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।